

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-7/नियुक्ति-हिन्दी/पीएससी/2015 दिनांक 18.07.2015 द्वारा श्रीमती अंजू मीणा का आर.पी.एस.सी. द्वारा चयन होने के कारण व्याख्याता हिन्दी के पद पर नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाहपुर डहरा (अलवर) पदस्थापित किया गया था।

श्रीमती अंजू मीणा द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-7/नियुक्ति-हिन्दी/पीएससी/2015 दिनांक 18.07.2015 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष याचिका संख्या 19401/2015 दायर की गई। जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 08/01/2016 द्वारा उक्त याचिका में निर्णय प्रारित किया।

याचिका के निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनसे कम मैरिट वाले अभ्यर्थियों को गृह जिला आवंटन करने एवं पूर्व में प्रस्तुत परिवेदना स्वीकार नहीं करने का उल्लेख करते हुए गृह जिले में पदस्थापन करने बाबत निवेदन किया।


अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग के संबंध में यह निर्णय लिया कि व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) का पद स्टेट सर्विस का होने के कारण उसे राज्य के किसी भी विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जा सकता है। प्रार्थी की इच्छानुसार पदस्थापन दिया जाना संभव नहीं है। अतः श्रीमती अंजू मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है। जिससे सभी संबंधित सूचित हो।


(बी.एल. स्वर्णकार)

आईएस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक- 22/4/16

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/याचिका/19401/2015
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रहित -

1. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/(विधि) जयपुर
3. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय, हाजा
4. संबंधित शाला-संस्था प्रधान
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-7/नियुक्ति-हिन्दी/पीएससी/2015 दिनांक 18.07.2015 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमारी छिपी का आर.पी.एस.सी. द्वारा चयन होने के कारण व्याख्याता हिन्दी के पद पर नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जनूथर (भरतपुर) पदस्थापित किया गया था ।

श्री राजेन्द्र कुमारी छिपी द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-7/नियुक्ति-हिन्दी/पीएससी/2015 दिनांक 18.07.2015 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष याचिका संख्या 1876/2016 दायर की गई । जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15/02/2016 द्वारा उक्त याचिका में निर्णय पारित किया ।

याचिका के निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनसे कम मैरिट वाले अभ्यर्थियों को गृह जिला आवंटन करने एवं पूर्व में प्रस्तुत परिवेदना स्वीकार नहीं करने का उल्लेख करते हुए गृह जिले में पदस्थापन करने बाबत निवेदन किया ।


अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग के संबंध में यह निर्णय लिया कि व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) का पद स्टेट सर्विस का होने के कारण उसे राज्य के किसी भी विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जा सकता है । प्रार्थी की इच्छानुसार पदस्थापन दिया जाना संभव नहीं है । अतः श्री राजेन्द्र कुमारी छिपी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है । जिससे सभी संबंधित सूचित हो ।


(बी.एल. स्वर्णकार)

आईएस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक- 22/4/16

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/याचिका/1876/2016
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अयोधित -

1. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/(विधि) जयपुर
3. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
4. संबंधित शाला-संस्था प्रधान
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर